

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 03/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. नानगी पत्नि भीखाराम
2. दामोदर पुत्र भीखाराम
3. जगदीश पुत्र भीखाराम
4. सीताराम पुत्र भीखाराम
5. संतोषी पुत्री भीखाराम

समस्त जाति मीना निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

:—निर्णय:—

दिनांक: 5.8.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए और न जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 39 बीघा संवत् 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत् 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 341 रकबा 39 बीघा किस्म पेटाबंध बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत् 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 952 रकबा 2.21 है। एवं खसरा नम्बर 961 रकबा 6.27 है। किस्म बाराणी-3 बने, जिसमें से खसरा नम्बर 952/3 रकबा 0.40 है। एवं खसरा नम्बर 961/3 रकबा 0.20 है। कुल 0.60 है। भूमि नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 18.06.1994 के द्वारा भीखाराम पुत्र घासीराम जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.06.2000 के द्वारा उक्त भूमि भीखाराम पुत्र घासीराम जाति मीना के नाम गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हुई। अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 696 रकबा 39 बीघा संवत् 2003 में किस्म पेटा बंध दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत् 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 341 रकबा 39 बीघा किस्म पेटाबंध बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत् 2041-2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 952 रकबा 2.21 है। एवं खसरा नम्बर 961 रकबा 6.27 है। किस्म बाराणी-3 बने, जिसमे से खसरा नम्बर 952/3 रकबा 0.40 है। एवं खसरा नम्बर 961/3 रकबा 0.20 है। कुल 0.60 है। भूमि नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 18.06.1994 के द्वारा भीखाराम पुत्र घासीराम जाति मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.06.2000 के द्वारा उक्त भूमि भीखाराम पुत्र घासीराम जाति मीना के नाम गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 952/3 रकबा 0.40 है। एवं खसरा नम्बर 961/3 रकबा 0.20 है। कुल 0.60 है। भूमि अप्रार्थी नानगी पत्नि भीखाराम, दामोदर, जगदीश, सीताराम पि. भीखाराम, संतोष पुत्री भीखाराम जाति मीना निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड रही है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में पेटाबंध दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 05.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

( सुमित्रा पारीक )

अति० जिला कलक्टर दौसा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official